



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226142
CG-DL-E-26032021-226142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1249]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का. आ.1353(अ).—इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में दिनांक 18, मार्च, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1248 (अ) में (i) अनुसूची के क्रमांक संख्या 45 के कॉलम 2 में सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए स्टैंडअलोन एलईडी मॉड्यूल' को सामान्य प्रकाश के लिए स्वतंत्र एलईडी मॉड्यूल' पढ़ा जाए।

(ii) अनुसूची के क्रमांक संख्या 61 के कॉलम 3 में आईएस 13252 :भाग 1: 2010' को आईएस 616: 2017' पढ़ा जाए।

(iii) अनुसूची के क्रमांक संख्या 61 के कॉलम 4 में 'सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण - सुरक्षा खंड 1 सामान्य आवश्यकताएं' को 'ऑडियो, वीडियो और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएं' पढ़ा जाए।

[फा. नंबर डब्लू-47/4/2020-आइ० पी० एच० डब्लू० -ई० एवं सू० प्रौ० मं०]

आशा नांगिया, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी : प्रधान आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2021 के का० आ० संख्या 1248 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1353(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 1248(E), dated the 18th March, 2021:

(i) at column 2 of S. No 45 of the schedule; the entry ‘Standalone LED Modules for General lighting’ be read as ‘Independent LED Modules for General Lighting’.

(ii) at column 3 of S. No. 61 of the schedule, the entry IS 13252 : Part 1 : 2010 be read as IS 616:2017.

(iii) at column 4 of S. No. 61 of the schedule, the entry ‘Information technology equipment - safety part 1 general requirements’ be read as ‘Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements’.

[F.No.W-47/4/2020-IPHW-MeitY]

ASHA NANGIA, Scientist ‘G’

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18th March, 2021.